सोशल मीडिया के प्रयोग के शरई सिद्धान्त एवं नियम

इस्लामिक फ़िक्ह एकेडमी इण्डिया का तीसवां फ़िक्ही सेमीनार अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद में 3-4 अक्टूबर सन् 2021 ई0 को आयोजित हुआ, जिसमें एक महत्त्वपूर्ण विषय ''सोशल मीडिया के प्रयोग के शरई सिद्धान्त और सीमाएं'' पर विचार-विमर्श के पश्चात निम्नलिखित सुझाव पारित किये गयेः

1- सोशल मीडिया वर्तमान काल की एक महत्त्वपूर्ण खोज़ है जिसमें लाभ और हानि दोनों जुडी हुई है और इस समय यह प्रचार-प्रसार का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

2- धार्मिक, ज्ञानपूर्वक और लाभप्रद बातों पर अधारित संदेश जो विश्वसनीय एवं खोजपूर्ण हो, इनको आगे भेजना उचित है।

3- वस्तुओं का ज्ञान उसके वास्तविक उद्देश्य के इर्दगिर्द ही होता है इस लिए यदि किसी साईट का उद्देश्य अवैध छवियों, अश्लील और अवैध चित्रों का प्रकाशन एवं प्रसारण हो तो इसके तकनीकी विभागों में भी नौकरी करना भी अनुचित है।

4- सोशल मीडिया पर मौजूद जो सामग्री नैतिक मुल्यों, नाजायज मामलों को बढावा देना है तब इसको प्रकाशित करने की अनुमति नहीं है। सिवाये उसके कि इनको ऐसे लोगों को भेजा जाये जिनके बारे में आश कि जाती है कि वह इसको रद्द करेंगे और दूसरों को भी प्रभावित होने से बचाएगें।

5- शैक्षिक उद्देश्य के लिए मोबाईल और सोशल मीडिया का प्रयोग उचित है मगर उसके साथ नैतिक और शारीरिक हानियों से सुरक्षा की सावधानी की व्यवस्था एवं रोक थाम के साधन भी लागू करना ज़रूरी है।

6- इस्लाम के प्रसार, दीनी जानकारी की उपलब्धता, नैतिक शिक्षा और वैध आर्थिक लाभ इत्यादि के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग समय की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता है, अतः इसके प्रयोग में कोई बूराई नहीं है।

7- सुझाव कमेटी एकेडमी से निवेदन करती है कि दारुल क़ज़ा से सम्बन्धित आनलाईन कार्यवाही की खोज के लिए वह एक उप कमेटी का आयोजन करे, जो समस्त पहलुओं का विश्लेषण करके विस्तृत रिपोर्ट पेश करे।

8- अगर आडियों वीडियों पर शरई आधार से उचित हो, तो इनके सुनने देखने और दुसरे व्यक्ति को भेजने पर कंपनी जो पैसा देती है, इसका लेना जायज है।

9- वीडियो के प्रसारण व प्रकाशन के लिए अनुचित या आपत्तिजनक विज्ञापन को अधिकारपूर्ण सम्मिलित करना उचित नहीं है।

10- आन लाईन गेम में आम तौर पर बहुत सी ख़राबियां होती हैं इसलिए उन्हें खेलना और उनसे जीविकापार्जन करना सही नहीं है। हालांकि जुआ, समय और धन की बर्बादी और अनैतिक मुल्यों जैसे भ्रष्टाचार न हो, तो उसके खेलने और पुरुस्कार प्राप्त करने के लिए गुन्जाइश है।

11- सोशल मीडिया पर बनाए जाने वाले समूह में बिना अनुमती किसी को जोड़ना शरई तौर पर उचित नहीं है।

12- जो किताबें लेखक या प्रकाशक द्वारा सुरक्षित हैं, इसकी आज्ञा के बग़ैर इनका पी डी एफ (च्क्थ्) बनाकर या किसी भी फारमेट में डिजीटल कापी बनाकर सोशल मीडिया पर डालना उचित न होगा।

13- सोशल मीडिया के प्रयोग में शरई व नैतिक विषयों का ध्यान रखना आवश्यक है और जो विषय ग़ैर शरई और अनैतिक हों, उनसे अलगाव आवश्यक होगा।

14- सोशल मीडिया पर झूठ और गुमराह सम्प्रदायों की तरफ से इस्लाम के नाम पर बनाई गयी बहुत सी साईट मौजूद हैं, अर्थात सहभागी सेमीनार की नौजवान नस्ल से निवेदन है कि वह ऐसी साईट के प्रयोग से बचें और इस सम्बन्ध में अपने विश्वसनीय उलेमा से सम्पर्क करें।

☆☆☆

नोटः 30वां फ़िक्ही सेमीनारए 25 से 26 सफरुल मुजफ्फ़र 1443 हिजरी दिनांक 3 से 4 अक्टूबर सन् 2021 ई0 अल माहदुल आली अल इस्लामी हैदराबाद।